



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन एक स्वायत्त संगठन)



शिक्षा सदन, 17, इन्स्टिट्यूशनल क्षेत्र, राउज एवेन्यू, दिल्ली-110002.

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
"Shiksha Sadan", 17, Institutional Area, Rouse Avenue, Delhi-110002

"भारत की ज्ञान परम्परा और आचार" वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं के लिए एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम

CBSE/Acad./Con.(English)/KPTI/2013

दिनांक: 6 मई, 2013

परिपत्र संख्या-अका. 30/2013

के. मा. शि. बो. से संबद्ध सभी
संस्थानों के प्रमुख

प्रिय प्रधानाचार्य,

हम सभी जानते हैं कि भारत के पास बौद्धिक अनुसंधान एवं मूलग्रंथों के धरोहर की एक अत्यन्त समृद्ध परंपरा रही है जो कि कई सौ साल पुरानी है। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत की इस "ज्ञान परम्परा एवं आचार" को सर्वोत्कृष्ट ढंग से समुन्नत किया गया है। भारतीय चिंतन की बौद्धिक उपलब्धियाँ, विभिन्न अध्ययन, दार्शनिक, तकनीकी एवं कलात्मक क्षेत्रों में श्रृंखलाबद्ध रूप में फैली हुई हैं।

के.मा.शि.बो. का यह दृढ़ विश्वास है कि एक मजबूत मूल्य-व्यवस्था का विकास तथा भारतीय ज्ञान-परम्परा एवं आचार के प्रति एक गहरा सम्मान-भाव पैदा करना ही समस्त शिक्षा का आधार है जिसे प्रदान करने में बोर्ड निरंतर प्रयत्नशील है। सूचना के सुलभ स्रोतों के अभाव में, अनभिज्ञता एवं भ्रांतियों के कारण "ज्ञान-परम्परा एवं आचार" अप्रयुक्त रह जाता है।

वैकल्पिक विषय के संबंध में

2012-13 में कक्षा XI में और 2013-14 में कक्षा XII में हाल ही में शुरू किए गए इस वैकल्पिक पाठ्यक्रम के परिचय के माध्यम से के.मा.शि.बो. ने हमारे प्राचीन देश और उसकी संस्कृति के प्रति छात्रों को अभिज्ञ बनाने का लक्ष्य रखा है। छात्र विविध मॉड्यूल के माध्यम से इसे पढ़ेंगे और परम्परा तथा आचार के संबंध में एक वस्तुनिष्ठ अन्तर्दृष्टि विकसित करेंगे। प्रत्येक मॉड्यूल के लिए अभ्यास एवं गतिविधियाँ उल्लिखित हैं, जो छात्रों को वर्तमान समय से पारम्परिक ज्ञान को संबद्ध करने में समर्थ बनाएँगी। यह पाठ्यक्रम सर्वेक्षित लेखों का एक व्यापक संग्रह है, जो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त मूल ग्रंथों के अवतरण का अनुसरण करता है।

शिक्षण के दृष्टिकोण

XI एवं XII, इन दोनों कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम को इस तरह से तैयार किया गया है कि यह विविध अध्ययन के क्षेत्रों, जैसे खगोल-विज्ञान, धातु-विज्ञान, रसायन विज्ञान, नृत्य, नाटक, भाषा एवं साहित्य,

मार्शल-आर्ट, नैतिकता एवं शिक्षा का समावेश करता है और समग्र-शिक्षण के लिए अंतर अनुशासनात्मक एवं बहु-अनुशासनिक दृष्टिकोणों से समर्थ करता है।

शिक्षक की योग्यता

विद्यालयों के प्रमुख ध्यान दें कि वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं में इस पाठ्यक्रम को चलाने के लिए कोई भी नियत या विशिष्ट योग्यता अपेक्षित नहीं है क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से समूह-शिक्षण की माँग करता है। एक तरफ जहाँ विज्ञान आधारित मॉड्यूल विज्ञान में स्नातकोत्तर शिक्षक द्वारा पढ़ाया जा सकता है वहीं मानविकी आधारित मॉड्यूल को मानविकी के विषयों में स्नातकोत्तर किए हुए शिक्षक पढ़ा सकते हैं।

कोर्स शुरू करने के उद्देश्य

हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि यह वैकल्पिक पाठ्यक्रम छात्रों के आत्म-सम्मान को बढ़ाएगा तथा अपरिमित गर्वबोध की रचना में सहायता करेगा। अनुसंधान परियोजनाओं एवं मौखिक परीक्षा के लिए निर्धारित किया गया 30% अधिमान, छात्रों को विविध ऐतिहासिक महत्व वाले स्थानों पर जाकर भारतीय मूल्यों, परम्परा व्यवस्थाओं एवं ज्ञान केन्द्रों को ढूँढने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

कक्षा XI के सभी दस मॉड्यूल CBSE के शैक्षणिक वेबसाइट www.cbseacademic.in पर परिपत्र संख्या 61/2012,14 सितंबर के अंतर्गत अपलोड किए गए थे। कक्षा XII का एक मॉड्यूल 'नीतिशास्त्र' पर अपलोड किया गया है।

उम्मीद है कि सभी विद्यालय के प्रमुख बोर्ड की इस नयी पहल को स्वीकार करेंगे और हमारी बौद्धिक विरासत को विकसित करने के हमारे प्रयास में हमारी सहायता करेंगे।

किसी भी पूछताछ के लिए श्रीमती नीलिमा शर्मा, परियोजना परामर्शदाता व समन्वयकर्ता से 011-23233522 और Email id :- neelimasharma.cbse@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।

शुभकामना के साथ

साधना पाराशर

(डॉ. साधना पाराशर)

प्रोफेसर एवं निदेशक (शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नवाचार)

निवेदन के साथ, सभी निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के प्रमुखों को, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना देने के लिए प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18-इन्स्टिट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली – 110016.
2. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, ए-28, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली.
3. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली.-110054
4. निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर-9, चंडीगढ़-160017.

5. शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101
6. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791111.
7. शिक्षा निदेशक, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर-744101.
8. राज्य शिक्षा संस्थान, के.मा.शि.बो. कक्ष वी.आई.पी. मार्ग, जंगली घाट, पी.ओ.-744103, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह।
9. केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस.एस. प्लाज़ा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085.
10. शिक्षा अधिकारी/सह-शिक्षा अधिकारी, शैक्षणिक विभाग, के.मा.शि.बो.
11. अनुसंधान अधिकारी (तकनीकी) को इस परिपत्र को के.मा.शि.बो. की वेबसाइट पर डालने के अनुरोध के साथ।
12. पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी, के.मा.शि.बो.
13. अध्यक्ष, के.मा.शि.बो. के कार्यकारी सचिव
14. सचिव, के.मा.शि.बो. के डेस्क अधिकारी/निजी सहायक
15. परीक्षा नियंत्रक, के.मा.शि.बो. के निजी सहायक
16. निदेशक (शैक्षणिक) के.मा.शि.बो. के निजी सहायक
17. संयुक्त सचिव, (संयुक्त प्रवेश परीक्षा), के निजी सहायक
18. विभाग अध्यक्ष, (एडुसैट) के निजी सहायक
19. जन संपर्क अधिकारी के.मा.शि.बो., के निजी सहायक
20. के.मा.शि.बो. के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को अपने-अपने क्षेत्र के सभी संबद्ध विद्यालयों के प्रमुखों को भिजवा दें।

प्रोफेसर एवं निदेशक (शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नवाचार)